325

संख्या:- 221 /XLIII(1)/15-05 (27)/2015

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड

सुराज,भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं सतर्कता अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 28 अक्टूबर, 2015

विषयः—शासकीय कार्यालयों में किसी भी स्तर पर पत्रावलियों को 4 कार्यदिवसों से अधिक लम्बित न रहने सम्बन्धी दिशा—निर्देश।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पत्रावलियों के निस्तारण में गतिशीलता नहीं आ रही है इससे जहाँ एक ओर शासकीय कार्यों के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है वहीं दूसरी ओर शासकीय क्रियाकलाप की भी नकारात्मक छवि आम जनमानस में बन रही है। पत्रावलियों के ससमय निस्तारण हेतु समय—समय पर विभिन्न स्तरों से प्रयास किये जाते रहे है, किन्तु शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि प्रकरण के पूर्ण निस्तारण में अब भी काफी समय लग रहा है। विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों के स्तरों पर पत्रावलियों के निस्तारण में और अधिक गतिशीलता लाये जाने की आवश्यकता है। उक्त के दृष्टिगत प्रत्येक स्तर पर पत्रावलियों के निस्तारण की अधिकतम् समयावधि निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कार्यालय में विभिन्न प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावलियों का प्रत्येक अधिकारियों / कर्मचारियों के स्तर पर निस्तारण 4 कार्य दिवसों में किया जाये, यदि किसी पत्रावली पर वार्ता की जानी अपेक्षित हो तो, पत्रावली पर वार्ता के बिन्दुओं, सम्बन्धित अधिकारी जिससे वार्ता करनी है एवं जिस तिथि एवं समय पर वार्ता करनी है, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

3. उपरोल्लिखित निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने एवं अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी के स्तर पर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु उक्तानुसार कार्यवाही हेतु सजग एवं सचेष्ट रहें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
2. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव